संख्या- 383 /2023/ 7473/चार-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभागः **लखनऊः दिनांक 21 दिसम्बर, 2023**

विषयः- उत्तरायण/मकर संक्रान्ति से प्रदेश के आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन/कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित विश्वप्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना श्रीराम जी की जीवनगाथा पर आधारित है | इस महाकाव्य में श्रीराम जी के नैतिक, सामाजिक एवं मानव मूल्यों की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान समय में अत्यधिक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है। इस विश्वप्रसिद्ध अमूर्त धरोहर का संरक्षण एवं जनमानस तक इसकी जानकारी पहुंचाना हमारा उत्तरदायित्व है। इसी क्रम में अयोध्या में नव निर्मित श्रीराम मंदिर निर्माण समाज व देश में जन-जन तक इन्हीं संस्कारों, आदर्शों, प्राचीन परम्पराओं एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना की ओर अग्रणी कदम हैं। श्रीराम जी की जन्मभूमि, अयोध्या के इस मंदिर से प्रदेश के जन मानस का बेहद करीबी लगाव रहा है। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 14 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 तक प्रदेश के समस्त राम मंदिरों, हनुमान मंदिरों, वाल्मीकि मंदिरों आदि में रामकथा, रामायण-पाठ, भजन/कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है।

2. इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः-

(1) वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित श्रीराम जी के आदर्शों, मानव मूल्यों, सामाजिक मूल्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जन मानस को इस अभियान से जोड़ा जाये। इस अवसर पर मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलन/दीप दान के साथ-साथ रामकथा प्रवचन, अनवरत रामायण/रामचरित मानस का पाठ/सुन्दरकाण्ड आदि के कार्यक्रम भी आयोजित किये जायें।

(2) इस अवसर पर नगर निकायों में नगर संकीर्तनों का आयोजन किया जाये, जिसमें स्थानीय भजन/कीर्तन मण्डलियों को सम्मिलित करते हुए नगरों में राम मंदिर रथ एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया जाये।

(3) इन कार्यक्रमों हेतु कलाकारों का चयन संस्कृति विभाग तथा सूचना विभाग में पंजीकृत कलाकारों तथा भजन/कीर्तन मण्डलियों को प्राथमिकता देते हुए किया जाये, जिनका भुगतान संस्कृति विभाग द्वारा नियत दरों पर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से किया जायेगा।

(4) मंदिरों का चयन स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाये एवं कार्यक्रम के आयोजन का प्रभावी अनुश्रवण जिला स्तर पर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित करते हुए तथा तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर भी नोडल अधिकारी चयनित कर कार्यक्रम सुनिश्चित कराये जायें। नगर निकायों में नगर निकायों के सहयोग से संकीर्तनों हेतु स्थानों का चयन कर कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जिलाधिकारियों द्वारा इस कार्य हेतु महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, आशा बहुएँ, ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम पंचायत सहायक आदि का सहयोग लिया जा सकता है। मंदिरों का चयन कर उसकी सूची एवं नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं मोबाइल नम्बर संस्कृति विभाग के पोर्टल **https://culturalevents.in/ramotsav** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(6) प्रत्येक जनपद के वाल्मीकि मंदिर, श्रीराम मंदिर, श्री हनुमान मंदिर अथवा रामायण से सम्बन्धित अन्य मंदिरों का पूरा पता, फोटो, जी0पी0एस0 लोकेशन, मंदिर प्रबन्धक का सम्पर्क नम्बर उल्लिखित पोर्टल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(7) उल्लिखित कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समितियों का गठन करते हुए इसकी सूचना अतिशीघ्र संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कार्यक्रमों का सम्पूर्ण प्रदेश में प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

(8) इस आयोजन का प्रचार-प्रसार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग तथा जनपद स्तर पर जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे रामायण के मूल आदर्शों के स्थापना हेतु जन-जन को जागरूक किया जा सके।

(9) प्रत्येक आयोजन स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, सुरक्षा, दरी बिछावन, ध्वनि, प्रकाश (आवश्यकता के अनुसार), सूक्ष्म जलपान आदि की व्यवस्था जिला तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित कर ली जाये। आयोजन स्थलों पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाणत्र प्राप्त करते हुए कार्यक्रम सुनिश्चित कराये जायें।

(10) प्रदेश स्तरीय उक्त कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु करने के लिए श्री राजेश अहिरवार, सहायक निदेशक, (सामान्य/निष्पादन कला), संस्कृति निदेशालय, उ0 प्र0, मोबाइल नम्बर- 8839923506 नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार मकर संक्रान्ति पर्व दिनांक 14 जनवरी, 2024 से 22 जनवरी, 2024 तक आयोजित होने वाले उल्लिखित कार्यक्रमों को प्रदेश में भव्यपूर्ण ढंग से आयोजित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या- 383 /2023/ 7473(1)/चार-2023, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित जनपदों के जिला सूचना अधिकारियों को यथावश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।